सामान्य योजना
जिलासैक्टर / आयोजनागत
संख्या–340/L(9)06/XV–2/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सहायक निदेशक (चम्पावत व पिथौरागढ़ को छोडकर)/
आहरण वितरण अधिकारी,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 नवम्बर, 2007

विषयः– डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में चालू योजना 91–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण योजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–800–802/जि0यो0/2007–08 दिनाक 04 अगस्त, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007–08 में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रुपये 163.46 लाख (रुपये एक करोड तिरसठ लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

2– सभी कार्यकमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण कर शासन को भी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही किया जाए तथा ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाए जो योजना में स्वीकृत नहीं हैं। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद पर किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

4– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन व्यय की सूचना कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी.एम.–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाए।

5–उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जाए।

6–बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, डी.जी.एस.एन.डी. की दर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2404–डेरी विकास–00–191–सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता–91–ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण–00– –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –186 (P)/XXVII–4–2007 दिनांक 14 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या– 340/(2)/डेरी/2003–तददिनांकित 28-11-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक डेरी विकास , उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।
8. उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।
9. वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या– 340 /पशुपालन अनुभाग–2/2007, दिनांक : 28 नवम्बर, 2007 का संलग्नक

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मदवार
अनुदान संख्या–28
लेखाशीर्षक –
2404–डेरी विकास
00–
191–सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता
91–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)
00–
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि लाख रु0 में)

क. सं.	जनपद का नाम	धनराशि
1.	नैनीताल	23.21
2.	उधमसिंह नगर	26.20
3.	अल्मोड़ा	19.10
5.	बागेश्वर	7.80
6.	देहरादून	11.39
7.	पौड़ी	18.88
8.	टिहरी	11.10
9.	चमोली	8.34
10.	उत्तरकाशी	16.47
11.	रुद्रप्रयाग	9.29
13.	हरिद्वार	11.68
	योग :–	**163.46**

(रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख छियालीस हजार मात्र)

(जी.बी.ओली)
संयुक्त सचिव